न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
शौकत हुसैन बनाम तहसीलदार
GCMS No- 2019/00574
प्रकरण संख्या 201/2019

[illegible]धिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 201/2019
जीसीएमएस न0 2019/00574

1. शौकत हुसैन पिता मोहम्मद शफी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहैडा मृतक के बजाय:–
   1/1 आबिद हुसैन पिता शौकत हुसैन शेख, निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा।
   1/2 आरिफ हुसैन पिता शौकत हुसैन शेख, निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा।
   1/3 वसीम हुसैन पिता शौकत हुसैन शेख, निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा।
   1/4 तनवीर हुसैन पिता शौकत हुसैन शेख, निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा।
   1/5 मु. जुबेदा बेगम बेवा शौकत हुसैन शेख, निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा।
2. अय्युब हुसैन पिता मोहम्मद शफी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

–––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 15.07.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की वाके मौजा मण्डागुलफरोशन प०ह० रानीखेडा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता सं0 352 के आराजी नं0 11 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, लगानी 35 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार मौजा मण्डागुलफरोशन प०ह० रानीखेड़ा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता सं० 353 के आराजी नं0 13 रकबा 0.0800 हैक्टेयर गे०मु०आबादी स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजी नं0 11 रकबा 0.0500 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं0 7 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी नं0 13 रकबा 0.0800 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं0 741/7 मीन रकबा 6 बिस्वा थे। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ [illegible] पुराने नक्षा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार सही रुप से तरमी[illegible] राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से प्रार्थीगण के खातेदारी [illegible] आराजी नं0 11 व 13 को राजस्व कर्मचारीयों की गलती [illegible] वजह से वर्तमान नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर दिया है, तथा प्रार्थीगण की आराजीयात पूर्व [illegible] नक्षा ट्रेस में पश्चिम दिशा में तरमीम थी जिसको वर्तमान नक्षा ट्रेस में [illegible] की तरफ गलत रुप से तरमीम कर दिया हैं। प्रार्थीगण के नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ हैं तथा उक्त नक्क्षा ट्रेस मे अंकन प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम नही किया है। इसलिए उक्त

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
शौकत हुसैन बनाम तहसीलदार
GCMS No- 2019/00574
प्रकरण संख्या 201/2019

नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर काबिज अनुसार, पुराने नक्शे ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अनुशंषा मय जांच रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम मण्डा गुलफरोशान की वर्तमान आराजी सं. 11 रकबा 0.05 है0 व आराजी नं0 13 रकबा 0.08 है0 गै.मु. आबादी को वर्तमान राजस्व नक्शा में गलत दिशा में दर्शाए जाने से शुद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की मौका जांच रिपोर्ट आदेशानुसार मौजा मण्डा गुलफरोशान की उपरोक्त आराजियात का मौका निरीक्षण हमराह पटवार हल्का रानीखेड़ा मय रेकार्ड भू.अ0 निरीक्षक जावदा मौके पर उपस्थित हुए। मौका जांच वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी, राजस्व नक्शा एवं गत भू-प्रबंध राजस्व रेकार्ड एवं गत राजस्व नक्शा का अवलोकन कर रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

I. वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2077-80 ग्राम मण्डा गुलफरोशान की आराजी नं0 11 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी 3 खातेदार श्री अय्युब हुसैन पुत्र मो शफी 1/3 बिसमिल्ला पत्नि मो0 शफी 1/3 शौकत हुसैन पुत्र मो0 शफी 1/3 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है और इसी प्रकार मौजा मण्डा गुलफरोशान की वर्तमान आराजी नं0 13 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 आबादी खातेदार दर्ज रेकार्ड है एवं आराजी नं0 12 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान आराजी नं0 11, 12 व 13 तीनों आराजी गत भू-प्रबंध राजस्व रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी संख्या 7 के बने हुए है।

II. गत भू-प्रबंध के साबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2043-48 में खाता संख्या 156 आराजी नं0 7 मीन रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा खातेदार श्री मोहम्मद शफी पिता पीर मोहम्मद मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज थी। नामान्तरण संख्या 658 स्वीकृत दिनांक 20.07.1988 से आराजी नं0 7 मी रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा में से बिलानाम सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम 6 बिस्वा गत आराजी नं0 834/7 गै.मु. सड़क के नाम गत् राजस्व नक्शा अनुसार पूर्वी मध्य से बना हुआ है और पूर्वी दिशा में गत आराजी नं. 835/7 रकबा 4 बिस्व बना हुआ है और खातेदार की शेष आराजी 7 मी. रकबा 5.01 बीघा भूमि पश्चिमी दिशा में शेष रही थी। उसके बाद शेष आराजी रकबा 5.01 बीघा में से सड़क के पास पूर्वी भाग में से नामान्तरण संख्या 680 स्वीकृत दिनांक 18.05.1989 से खातेदार के द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के आदेश से 6 बिस्वा गै0मु0 आबादी गत (नया आराजी नं0 841/7) श्री मोहम्मद शफी पिता पीर मोहम्मद मुसलमान के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक संपरिर्वतन से गै0मु0 आबादी दर्ज हुआ और खातेदार की शेष आराजी 4.15 बीघा भूमि 7 मी. शेष रही।

III. गत भू-प्रबंध ग्राम मण्डा गुलफरोशान जमाबन्दी संवत् 2059-62 में खाता संख्या 290 में विरासत से खाता श्री शौकत हुसैन, अय्युब हुसैन पिता मोहम्मद शफी बिसमिल्ला बेगम बेवा पत्नी मोहम्मद शफी मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा के नाम आराजी सं. 7 मी रकबा 4.15 बीघा किस्म भू.प., 835/7 रकबा 4 बिस्वा किस्म भू.प. व आराजी नं0 841/7 रकबा [illegible] दर्ज रेकार्ड थी। इसके बाद नामानतरण संख्या 1225 स्वीकृत दिनांक 04.[illegible].2007 [illegible] आराजी नं. 7 मीन रकबा 4.15 बीघा में से 12 बिस्वा [illegible] पिता शंकरलाल चिमनानी जाति सिन्धी सा. निम्बाहेड़ा [illegible] नयी आराजी 961 रकबा 0.12 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड हुई। इसके बाद शेष आराजी नं. 7 मीन रकबा 4.03 बीघा नामान्तरण संख्या 1258 स्वीकृत दिनांक 30.08.2007 से सम्पूर्ण आराजी 7 मी. रकबा 4.03 बीघा भूमि खातेदार श्रीमती मधू पत्नि प्रदीप मोदी जैन, श्रीमती सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

... पत्नि गोविन्द कुमार सोनी
... नाम दर्ज रेकार्ड हुई और नामान्तरण संख्या
... 18.02.2010 से सम्पूर्ण आराजी 7 मीन रकबा 4.03 बीघा
... प्रयोजनार्थ नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम संपरिवर्तित दर्ज रेकार्ड हुई।

IV. इसके बाद नामान्तरण संख्या 1440 स्वीकृत दिनांक 20.09.2010 से श्री शौकत हुसैन, अय्युब हुसैन पिता मोहम्मद शफी मु. बिसमिल्ला बेगम बेवा मोहम्मद शफी मुसलमान सा.निम्बाहेड़ा की संपरिवर्तित आराजी नं0 841 रकबा 0.06 बीघा आबादी जो कि सड़क के पास सड़क से पश्चिमी दिशा की ओर लगी हुई है गत राजस्व नक्शा में तरमीम नही है में से 5000 वर्ग फीट भूमि श्रीमती मधू पत्नि प्रदीप मोदी जैन, श्रीमती सीमा पत्नि विशाल सोनी माहेश्वरी, श्रीमती ज्योति सोनी पत्नि गोविन्द कुमार सोनी माहेश्वरी सा. निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई।

V. गत भू–प्रबंध के राजस्व रेकार्ड का नवीन भू–प्रबंध में परिवर्तन होने पर मिलान क्षेत्रफल में गत आराजी का नवीन आराजी में अंकन गलत प्रकार से हो गया है जो इस प्रकार से है गत साबिक राजस्व नक्शे में 7 मी. में से सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क के नाम 6 बिस्वा भूमि (आ0नं0 834/7) दर्ज हुई जोकि आ.नं. 7 मी. के पूर्वी मध्य में स्थित है इसका नवीन भू–प्रबंध में आ0नं0 12 रकबा 0.08 है0 सही बना है लेकिन इस सड़क के पूर्वी भाग में 7 मी. का छोटा भाग 4 बिस्वा भूमि (आ0नं0 835/7) जोकि सड़क के पूर्वी दिशा में स्थित है इसके 4 बिस्वा को नवीन भू–प्रबंध में आ0नं0 11 में रकबा 1.25 है0 में (7 मी. रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 835/7 रकबा 4 बिस्वा) में गलत रूप से शामिल किया गया है और इसी प्रकार वर्तमान आ0नं0 13 रकबा 0.08 है0 गत साबिक आ0नं0 841/7 रकबा 6 बिस्वा संपरिवर्तित भूमि का बनाया गया है जोकि वर्तमान राजस्व नक्शे में सड़क के पूर्वी भाग में दर्शाया गया है जो कि गलत दिशा में दर्शाया गया है। उक्त संपरिवर्तित भूमि वर्तमान मौके एवं कब्जे अनुसार सड़क के पश्चिम भाग से लगती हुई अंकित होना चाहिए।

VI. नवीन भू–प्रबंध से प्रथम आधार वर्ष जमाबन्दी संवत् 2067–70 बनी है जिसमें खाता संख्या 334 खातेदार श्री मनोहरलाल पिता शंकरलाल चिमनानी सिन्धी सा. निम्बाहेड़ा के नाम आ0नं0 11/1 रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी 3 दर्ज रेकार्ड किया गया जो सही है और साबिक आ0नं0 961/7 रकबा 12 बिस्वा का बना हुआ है और खाता संख्या 335 खातेदार श्रीमती मधू पत्नि प्रमोद मोदी जैन, श्रीमती सीमा पत्नि विशाल सोनी माहेश्वरी, श्रीमती ज्योति पत्नि गोविन्द कुमार सोनी माहेश्वरी हि.ब. सा. निम्बाहेड़ा के नाम आ0नं0 11/2 रकबा 1.05 है0 बारानी 3 दर्ज किया गया जोकि नामान्तरण संख्या 1417 दिनांक 18.12.2010 से संपरिवर्तन से नगरपालिका निम्बाहेड़ा आद्यौगिक प्रयोजनार्थ दर्ज रेकार्ड है जो सही है और साबिक आ0नं0 7 मी. रकबा 4.03 बीघा का बना हुआ है और खाता संख्या 336 में खातेदार श्री शौकत हुसैन, अय्युब हुसैन पिता मोहम्मद शफी, मु. बिसमिल्ला बेगम पत्नि स्व. मोह. शफी हि.ब. मुलसलमान सा. निम्बाहेड़ा के नाम आराजी नं0 11 रकबा 0.05 है किस्म बारानी 3 व आराजी नं0 13 रकबा 0.08 है0 किस्म गे0मु0 आबादी दर्ज किया गया जोकि साबिक आ[illegible] [illegible]शा व रेकार्ड अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में गलत दिशा [illegible] [illegible] रकबा 0.08 है0 गै0मु0 आबादी में पूर्व नामान्तरण संख्या 1440 दिनांक 20.09.210 से विक्रय से 5000 वर्ग फिट भूमि श्रीमती मधू पत्नि प्रमोद मो[illegible] जैन, श्रीमती सीमा पत्नि विशाल सोनी माहेश्वरी श्रीमती ज्योति पत्नि गोविन्द कुमार सोनी माहेश्वरी सा. निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज भूमि जिसका अंकन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
शौकत हुसैन बनाम तहसीलदार
GCMS No- 2019/00574
प्रकरण संख्या 201/2019

इस प्रकार सम्पूर्ण साविक राजस्व रेकार्ड एवं गत साविक राजस्व नक्शा, मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर काबिज अनुसार सम्पूर्ण जांच में सारांशतः यह है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी संवत् 2077–80 में दर्ज आराजी नं0 11 रकबा 0.05 है किस्म बारानी 3 भूमि वर्तमान राजस्व नक्शें में गै0मु0 सड़क के पश्चिम दिशा में लगती हुई दर्शायी गई है जो कि गलत दिशा में है। यह भूमि गै0मु0 सड़क के पूर्वी में सही दिशा में अंकन होना चाहिए जबकि यहां पर वर्तमान में आ0नं0 13 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 आवादी दर्शायी गई है जो कि मौके पर काबिज एवं गत राजस्व रेकार्ड अनुसार गै.मु. सड़क के पश्चिम दिशा में लगती हुई दर्ज होना अंकन होना चाहिए अतः गत साविक राजस्व नक्शा व रेकार्ड अनुसार मौके पर काबिज अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमावन्दी में जमावन्दी में प्रस्तावित संशोधन व वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रस्तावित संशोधन संलग्न राजस्व नक्शा (प्रस्तावित संशोधन) अनुसार निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित किया गया।

क्र सं.	वर्तमान प्रविष्टि			संशोधित प्रस्तावित प्रविष्टि		
	आ. नं.	रकबा(है0) मय किस्म	नाम खातेदार	आ.नं.	रकबा(है0) मय किस्म	नाम खातेदार
1	11	0.05 है0 बारानी 3	श्री अय्युब हुसैन 1/3 शौकत हुसैन 1/3 पिता मोहम्द शफी, बिसमिल्ला पत्नि मोहम्मद शफी 1/3 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार	11	0.08 है0 गै.मु आबादी	श्री अय्युव हुसैन, शौकत हुसैन पिता मोह. शफी, बिसमिल्ला पत्नि मोह. शफी मुलसमान 12/27 हि.ब. श्रीमती ज्योति पत्नि गोविन्द कुमार सोनी माहेश्वरी, मधू पत्निप्रदीप मोदी जैन, सीमा पत्नि विशाल सोनी माहेश्वरी 15/27 हि.ब. सा. निम्बाहेड़ा खातेदार
2	13	0.08 है0 गै.मु आबादी	श्री अय्युब हुसैन, शौकत हुसैन पितामो. शफी, बिसमिल्ला पत्नि मो. शफी मुलसमान 12/27 हि.ब.श्रीमती ज्योति पत्निगोविन्द कुमार सोनी माहेश्वरी, मधू पत्निप्रदीप मोदी जैन, सीमा पत्नि विशाल सोनी माहेश्वरी 15/27 हि.ब. सा. निम्बाहेड़ा खातेदार	13	0.05 है0 बारानी 3	श्री अय्युब हुसैन 1/3 शौकत हुसैन 1/3 पिता मोह. शफी, बिसमिल्ला पत्नि स्व. मो शफी 1/3 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार
किता–2	0.13 है0			किता–2 रकबा 0.13 है.0		

इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकार्ड के मूल रकबे में किसी प्रकार की कोई कमी बेशी नहीं की गई हैं। अतः संशोधित प्रस्ताव एवं प्रस्तावित संशोधित नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है। इस संशोधन में कोई राजहित प्रभावित नहीं हो रहा है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
शौकत हुसैन बनाम तहसीलदार
GCMS No- 2019/00574
प्रकरण संख्या 201/2019

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

एवं

<u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण **(Maintenance)**</u> – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन सस्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थनापत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम मण्डागुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेडा में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात पूराने नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम सही किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

8. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मण्डागुलफ[illegible] रानीखेडा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खा[illegible] 0.0500 हैक्टेयर, लगानी 35 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार [illegible] प०ह० रानीखेड़ा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता सं० 353 के आराजी नं0 13 रकबा 0.0800 हैक्टेयर गे०मु०आबादी की तरमीम किया जाना एवं [illegible] अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना प्रमाणित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
शौकत हुसैन बनाम तहसीलदार
GCMS No- 2019/00574
प्रकरण संख्या 201/2019

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि नये खाता सं0 352 के आराजी नं0 11 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, लगानी 35 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार मौजा मण्डागुलफरोशन प॰ह॰ रानीखेड़ा तह॰ निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता सं॰ 353 के आराजी नं0 13 रकबा 0.0800 हैक्टेयर मे निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है। मृतक बिसमिल्ला पत्नी मोहम्मद शफी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 के नाम उनके हक हिस्से अनुसार रहेगा। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 शौकत हुसैन की भी मृत्यु होने से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से उनके वारिसान प्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 के नाम दर्ज होगा एंव तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार अमल दरामद करे। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

क्र सं.	वर्तमान प्रविष्टि			संशोधित प्रस्तावित प्रविष्टि		
	आ. नं.	रकबा(है0) मय किस्म	नाम खातेदार	आ .नं.	रकबा(है0) मय किस्म	नाम खातेदार
1	11	0.05 है0 बारानी 3	श्री अय्युब हुसैन 1/3 शौकत हुसैन 1/3 पिता मोहम्मद शफी, बिसमिल्ला पत्नि मोहम्मद शफी 1/3 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार	11	0.08 है0 गै.मु आवादी	श्री अय्युब हुसैन, शौकत हुसैन पिता मोह. शफी, बिसमिल्ला पत्नि मोह. शफी मुलसमान 12/27 हि.ब. श्रीमती ज्योति पत्नि गोविन्द कुमार सोनी माहेश्वरी, मधू पत्नि प्रदीप मोदी जैन, सीमा पत्नि विशाल सोनी माहेश्वरी 15/27 हि.ब. सा. निम्बाहेड़ा खातेदार
2	13	0.08 है0 गै.मु आबादी	श्री अय्युब हुसैन, शौकत हुसैन पिता मो. शफी, बिसमिल्ला पत्नि मो. शफी मुलसमान 12/2 हि.ब.श्रीमती ज्योति पत्नि गोविन्द कुमार सोनी माहेश्वरी, मधू पत्नि प्रदीप मोदी जैन, सीमा पत्नि विशाल सोनी माहेश्वरी 15/27 हि.ब. सा.निम्बाहेड़ा खातेदार	13	0.05 है0 बारानी 3	श्री अय्युब हुसैन 1/3 शौकत हुसैन 1/3 पिता मोह. शफी, बिसमिल्ला पत्नि स्व. मो. शफी 1/3 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा खातेदार
किता–2	0.13 है0			किता–2 रकबा 0.13 है.0		

उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

न्यायालय उपखण्ड ... निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner